

करेंट अफेयर्स

राजस्थान

(संग्रह)



जनवरी

2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान	3
➤ राजस्थान में स्वदेशी वृक्षों को बढ़ावा दिया जाएगा	3
➤ प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ दरगाह में भेंट दी	4
➤ भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा जल भंडारण के प्रति सावधानी	5
➤ चिंतन शिविर	6
➤ राजस्थान की नदी-जोड़ो परियोजना	7
➤ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पेट्रोजोन के लिये भूमि को मंजूरी दी	9
➤ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया यूट्रीकुलेरिया	10
➤ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	11
➤ राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ	13
➤ केंद्र ने सोयाबीन खरीद की समयसीमा बढ़ाई	14
➤ UGC ने राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों में Ph.D. प्रवेश रोके	15
➤ माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2.4°C दर्ज किया गया	16
➤ राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर OBC आरक्षण पर नोटिस जारी किया	17
➤ नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य	18
➤ राजस्थान सरकार कोचिंग छात्रों के लिये आत्महत्या रोकथाम विधेयक पेश करेगी	19
➤ लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण हेतु वेब पोर्टल	20
➤ राजस्थान में नई सौर परियोजना	22

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

राजस्थान

राजस्थान में स्वदेशी वृक्षों को बढ़ावा दिया जाएगा

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के कृषि उत्कृष्टता केंद्र, राज्य की जलवायु के अनुकूल देशी वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने के लिये तमिलनाडु के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे।

- ये केंद्र किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और उन्नत बागवानी उत्पादन तकनीकों का सक्रिय रूप से प्रशिक्षण देते हैं।

मुख्य बिंदु

- तमिलनाडु का नर्सरी मॉडल:
 - तमिलनाडु का नर्सरी मॉडल, जो ग्रीन तमिलनाडु मिशन का हिस्सा है, देशी पेड़-पौधे लगाने को बढ़ावा देता है।
 - यह पहल लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नजदीकी नर्सरियों से उच्च गुणवत्ता वाले पौधे खरीदने में सक्षम बनाती है।
 - यह मॉडल पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करता है और पूरे राज्य में वनरोपण प्रयासों को बढ़ाता है।
- कृषि एवं बागवानी सचिव का दौरा:
 - कृषि एवं बागवानी सचिव ने जयपुर जिले के ढिंडोल स्थित राजस्थान राज्य बीज निगम के प्रक्षेत्र केंद्र, जैतून उत्पादन केंद्र और अनार उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया।
 - उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्कृष्टता केंद्रों ने किसानों की आय में वृद्धि की है तथा वे उच्च क्षमता पर कार्य कर रहे हैं।
- अनुशासण:
 - फसलों की सिंचाई के लिये वर्षा जल संचयन शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
 - किसानों के लिये प्रशिक्षण मॉड्यूल की समीक्षा की गई, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई और मल्लिचंग जैसी जल संरक्षण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- ढिंडोल में आधुनिक बुनियादी ढाँचा:
 - ढिंडोल में उत्कृष्टता केंद्र में आधुनिक वनस्पति प्रसार संरचनाएँ जैसे ग्रीनहाउस, शेड हाउस, नर्सरी ब्लॉक, मदर ट्री ब्लॉक और स्वचालन इकाइयाँ शामिल हैं।
 - यह केंद्र कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ-साथ किसानों के लिये गहन बागवानी, प्रेडिंग और पैकिंग का कार्य भी करता है।
 - ये गतिविधियाँ बागवानों को जल प्रबंधन, उर्वरीकरण और खेती में तकनीकी उन्नयन में सहायता करती हैं।

हरित तमिलनाडु मिशन

- इसका उद्देश्य राज्य के वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाना है। मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
 - वृक्षारोपण:
 - मिशन ने 73 लाख पौधे उगाकर कृषि विभाग को निर्दिष्ट किये गए हैं। मिशन ने तमिलनाडु में 47 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का भी प्रस्ताव रखा है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- नर्सरी:
 - ◆ मिशन ने राज्य भर में 43 वन प्रभागों में 260 नर्सरी स्थापित की हैं। मिशन के पास नर्सरी की दैनिक गतिविधि अपडेट एकत्र करने के लिये एक मोबाइल ऐप भी है।
- हरित समितियाँ:
 - ◆ मिशन ने वृक्षों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिये राज्य हरित समितियों और जिला हरित समितियों की स्थापना की है।
- ई-नर्सरी पोर्टल:
 - ◆ मिशन ने चेन्नई में मुफ्त देशी पौधे उपलब्ध कराने के लिये एक ई-नर्सरी पोर्टल लॉन्च किया है। मिशन भविष्य में इस सेवा को अन्य शहरों में भी विस्तारित करने की योजना बना रहा है।

प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ दरगाह में भेंट दी


चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने 'उर्स' के अवसर पर सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को 'चादर' भेंट की।

- उर्स उत्सव राजस्थान के अजमेर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो सूफी संत मोईनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु

- ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती:
 - ◆ मोईनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म 1141-42 ई. में ईरान के सिजिस्तान (आज के समय में सिस्तान) में हुआ था।
 - ◆ मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन साम गौर ने तराइन के दूसरे युद्ध (1192) में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था और दिल्ली में अपना शासन स्थापित कर लिया था, उसके पश्चात ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में रहना और उपदेश देना शुरू कर दिया था।
 - ◆ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण उनके शिक्षाप्रद प्रवचनों ने जल्द ही स्थानीय जनता के साथ-साथ दूर-दूर से राजाओं, कुलीनों, किसानों और गरीबों को भी अपनी ओर आकर्षित किया।
 - ◆ अजमेर स्थित उनकी दरगाह पर मुहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, दारा शिकोह और औरंगजेब जैसे शासकों द्वारा दौरा किया गया।
- चिश्ती सिलसिला (चिशितया):
 - ◆ चिशितया सिलसिले (Order) की स्थापना भारत में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती ने की थी।
 - ◆ इसमें ईश्वर के साथ एकता (वहदत अल-वुजूद) के सिद्धांत पर जोर दिया गया तथा इस सिलसिले के सदस्य शांतिवादी भी थे।
 - ◆ उन्होंने सभी भौतिक वस्तुओं को ईश्वर के चिंतन में बाधा मानकर अस्वीकार कर दिया।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ वे धर्मनिरपेक्ष राज्य से संबंध रखने से दूर रहे।
- ◆ ईश्वर के नामों का उच्चारण, जोर से और मन ही मन (धिक्क-जहरी, धिक्क-खफी) करना, चिश्ती प्रथा की आधारशिला थी।
- ◆ चिश्ती शिक्षाओं को ख्वाजा मोइन-उद्दीन चिश्ती के शिष्यों जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज-ए-शकर, निजाम उद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चराग द्वारा आगे बढ़ाया और लोकप्रिय बनाया गया।

सूफीवाद

- सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी रूप है, एक अभ्यास विद्यालय जो ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर केंद्रित है और भौतिकवाद से दूर रहता है।
- यह इस्लामी रहस्यवाद का एक रूप है जो तप पर जोर देता है। इसमें ईश्वर के प्रति समर्पण पर बहुत जोर दिया जाता है।
- सूफीवाद में, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिये आत्म अनुशासन को एक आवश्यक शर्त माना जाता है।
- रूढ़िवादी मुसलमानों के विपरीत, जो बाह्य आचरण पर जोर देते हैं, सूफी आंतरिक पवित्रता पर जोर देते हैं।
- सूफियों का मानना है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा जल भंडारण के प्रति सावधानी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB)** ने अपने सदस्य राज्यों को कम जल भंडारण स्तर और सामान्य से कम वर्षा के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए अपनी जल मांग का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाने की सलाह दी।

- **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** का अनुमान है कि जनवरी से मार्च 2025 तक उत्तर भारत में दीर्घकालिक औसत वर्षा से 86% कम वर्षा होगी।

प्रमुख बिंदु

- **भाखड़ा और पोंग बाँध का स्तर:**
- **सतलुज नदी** पर बना **भाखड़ा बाँध** अपनी कुल क्षमता का 43% भर चुका है।
- **ब्यास नदी** पर स्थित **पोंग बाँध** अपनी कुल क्षमता के 30% पर है।
- **केंद्रीय जल आयोग (CWC)** के अनुसार, दोनों स्तर 10 वर्ष के औसत से नीचे हैं।
- **सदस्य राज्यों के लिये सलाह:**
- **भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB)** ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को कम जल उपलब्धता के बारे में सूचित किया।
- **BBMB** ने इन राज्यों को स्थिति से निपटने के लिये अपनी जल मांग को तदनुसार समायोजित करने की सलाह दी।

भाखड़ा नांगल बाँध

- **भाखड़ा बाँध सतलुज नदी पर निर्मित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बाँध है और उत्तरी भारत में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों की सीमा पर निर्मित है।**
- यह टिहरी बाँध (261 मीटर) के पास 225.55 मीटर ऊँचा भारत का दूसरा सबसे ऊँचा बाँध है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- इसका जलाशय, जिसे “गोबिंद सागर” के नाम से जाना जाता है, में 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहित है।
- नांगल बाँध भाखड़ा बाँध के नीचे निर्मित एक और बाँध है। कभी-कभी दोनों बाँधों को एक साथ भाखड़ा-नांगल बाँध कहा जाता है, हालाँकि ये दो अलग-अलग बाँध हैं।

पोंग बाँध

- वर्ष 1975 में ब्यास नदी पर पोंग बाँध बनाया गया था। इसे पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है।
- वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जलाशय को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया।
- वर्ष 1994 में भारत सरकार ने इसे “राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि” घोषित किया। नवंबर 2002 में पोंग डैम झील को रामसर साइट घोषित किया गया।

चिंतन शिविर

चर्चा में क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) 10 से 12 जनवरी, 2025 तक राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में देश भर में महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी और उनके लिये सर्वोत्तम समाधान निकाले जाएँगे।

मुख्य बिंदु

- केंद्रित सत्र:
- मिशन वात्सल्य: बेहतर बाल देखभाल संस्थानों, पालन-पोषण देखभाल, गोद लेने और पश्चात देखभाल के माध्यम से बाल कल्याण को बढ़ाना।
- मिशन शक्ति: महिला सुरक्षा, बाल विवाह की समस्या का समाधान तथा SHe-Box पोर्टल सहित प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।
- मिशन सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0: पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता सेवाओं के केंद्र के रूप में आँगनवाड़ी केंद्रों को प्रबल करना।
- खुली चर्चा और सहयोगात्मक समस्या समाधान:
- शिविर में चुनौतियों का समाधान करने तथा नवीन समाधानों को साझा करने के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ संवाद की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- प्रमुख विषयों में आँगनवाड़ी केंद्रों में सुधार, बाल कल्याण कार्यक्रमों में तेजी लाना तथा महिला सशक्तीकरण के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है।

SHe-Box पोर्टल

- इसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था।
- ◆ पोर्टल को शिकायतकर्ता के विवरण को छिपाने तथा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है तथा केवल आंतरिक समिति (IC) या स्थानीय समिति (LC) के अध्यक्ष को ही इस जानकारी तक पहुँच होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- शिकायत पीड़ित महिला या उसकी ओर से किसी प्रतिनिधि द्वारा दर्ज की जा सकती है। इस प्रक्रिया में काम की स्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल जैसी बुनियादी जानकारी की आवश्यकता होती है।
- ◆ यदि कार्यस्थल का IC या LC पोर्टल पर पंजीकृत है, तो शिकायतें स्वचालित रूप से कार्रवाई के लिये अग्रेषित कर दी जाती हैं।
- पोर्टल में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर नोडल अधिकारियों के लिये एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड शामिल है, जिससे दर्ज, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या पर नज़र रखी जा सके।
- ◆ अधिनियम के तहत जाँच के लिये 90 दिन का समय निर्धारित है।

राजस्थान की नदी-जोड़ो परियोजना

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान में प्रस्तावित नदी-जोड़ो परियोजना, जिसका उद्देश्य राज्य में बढ़ती **जल कमी** को दूर करना है, ने इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव पर महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है।

इस नहर परियोजना से **चंबल नदी** बेसिन के अधिशेष जल को राजस्थान के 23 जिलों में **सिंचाई**, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिये उपलब्ध कराए जाने की संभावना है, जिससे 3.45 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

मुख्य बिंदु

- यह **नदी जोड़ो परियोजना रणथंभौर टाइगर रिज़र्व** के लगभग 37 वर्ग किलोमीटर के संभावित जलमग्न क्षेत्र पर आधारित है।
- यह **जलमग्नता पार्वती-कालीसिंध-चंबल-पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (PKC-ERCP)** के तहत प्रस्तावित सबसे बड़े बाँध के कारण होगी, जो महत्वाकांक्षी **नदियों को जोड़ने (ILR)** कार्यक्रम का हिस्सा है।
- ◆ राजस्थान में **PKC-ERCP परियोजना में कुल 408.86 वर्ग किलोमीटर** डूब क्षेत्र शामिल है। इसमें से 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र **चंबल की सहायक नदी बनास** पर प्रस्तावित बाँध के जलाशय के नीचे डूब जाएगा।
 - यह बाँध 39 मीटर ऊँचा और 1.6 किमी. लंबा बनाया जाएगा, जो **सवाई माधोपुर** से लगभग 30 किमी. दूर डूंगरी गाँव के पास स्थित होगा।
- ◆ **रणथंभौर तीसरा बाघ अभयारण्य** है, जो आगामी जलाशयों के कारण भूमि के नुकसान का सामना कर रहा है।
 - परियोजना विवरण से पता चलता है कि 37.03 वर्ग किमी. क्षेत्र **रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (392 वर्ग किमी.)** और **केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य (674 वर्ग किमी.)** का है, जो दोनों **रणथंभौर बाघ अभयारण्य (1,113 वर्ग किमी.)** का हिस्सा हैं, जहाँ वर्तमान में 57 बाघ हैं।
- परियोजना की पर्यावरणीय लागत एक विवादास्पद मुद्दा बन गई है। संरक्षणवादियों ने चेतावनी दी है कि **रणथंभौर टाइगर रिज़र्व के कुछ हिस्सों के जलमग्न होने से** भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक की जैव विविधता को खतरा हो सकता है।
- **रणथंभौर, बाघों और अन्य प्रजातियों** की स्थिर आबादी का पर्यावास है, जो देश के संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नोट:

- भूमि हानि का सामना कर रही अन्य परियोजनाओं में शामिल हैं:
 - ◆ उत्तर कोयल जलाशय परियोजना से झारखंड के **पलामू बाघ अभयारण्य** का 10.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, जबकि **केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना** से मध्य प्रदेश के **पन्ना बाघ रिज़र्व** का 41.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस




IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स




दृष्टि लर्निंग
ऐप





चंबल नदी



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- **चंबल नदी विंध्य पर्वत** (इंदौर, मध्य प्रदेश) की उत्तरी ढलानों में सिंगार चौरी चोटी से निकलती है। वहाँ से यह मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में लगभग 346 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है और फिर राजस्थान से होकर 225 किलोमीटर की लंबाई तक उत्तर-पूर्व दिशा में बहती है।
- यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा ज़िले में **यमुना नदी में मिलने से पहले लगभग 32 किमी.** तक बहती है।
- यह एक बरसाती नदी है और इसका बेसिन **विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं** और **अरावली** से घिरा हुआ है। चंबल और इसकी सहायक नदियाँ उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को जल से भरती हैं।
- राजस्थान में हाड़ौती **पठार मेवाड़ मैदान** के दक्षिण-पूर्व में चंबल नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है।
- **सहायक नदियाँ:** बनास, काली सिंध, **शिप्रा (क्षिप्रा)**, **पारबती**, आदि।
- **मुख्य विद्युत परियोजनाएँ/बाँध:** **गांधी सागर बाँध**, **राणा प्रताप सागर बाँध**, **जवाहर सागर बाँध** और **कोटा बैराज**।
- **राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य** राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि-जंक्शन पर चंबल नदी के किनारे स्थित है।
- यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय **घड़ियाल**, **रेड क्राउन रूफ़ टर्टल** और लुप्तप्राय **गंगा नदी डॉल्फिन** के लिये जाना जाता है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पेट्रोज़ोन के लिये भूमि को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक समर्पित **पेट्रोज़ोन** की स्थापना के लिये **भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है।**

- इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र में पर्याप्त निवेश आकर्षित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

- **भूमि आवंटन हेतु अनुमोदन:**
 - ◆ राजस्थान पेट्रोज़ोन और नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये **राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO)** को भूमि आवंटन, सौर ऊर्जा परियोजना के लिये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को भूमि आवंटन तथा **चंबल नदी** पर आधारित वृहद **पेयजल योजना** के लिये भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।
 - ◆ प्रस्तावित पेट्रोज़ोन में विभिन्न पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थापित होने की आशा है, जिससे विनिर्माण और प्रसंस्करण गतिविधियों के लिये एक केंद्र का निर्माण होगा।
- **अनुकूल वातावरण और विनिर्माण:**
 - ◆ यह पहल राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने और व्यवसायों के विकास के लिये **अनुकूल वातावरण प्रदान करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।**
 - ◆ पेट्रोज़ोन के विकास से रोज़गार के अनेक अवसर उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे स्थानीय जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में योगदान मिलेगा।
 - ◆ इसके अतिरिक्त, यह पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और नवाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा।
 - ◆ इस कदम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों के आकर्षित होने की संभावना है, जिससे राज्य की आर्थिक संभावनाओं को और बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- राज्य का हाइड्रोकार्बन क्षेत्र:
 - ◆ राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिनों के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन की महत्वपूर्ण संसाधन क्षमता है।
 - ◆ ये 4 बेसिन (जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर-सांचोर बेसिन, बीकानेर-नागौर बेसिन, विंध्य बेसिन) राज्य के 14 जिलों अर्थात् बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी में आते हैं।, भीलवाड़ा, चूरू और चित्तौड़गढ़ 1,50,000 वर्ग किमी. के क्षेत्र में विस्तृत है।
 - ◆ बाड़मेर-सांचोर बेसिन में मंगला तेल खोज को तीन दशकों में देश की सबसे बड़ी स्थलीय खोजों में से एक माना गया है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया यूट्रीकुलेरिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान के **केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान** में एक दुर्लभ और अनोखा मांसाहारी पौधा 'यूट्रीकुलेरिया' खोजा गया है।

- सामान्यतः ब्लैडरवॉर्ट्स के नाम से जाना जाने वाला यह पौधा आमतौर पर मेघालय और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है।



मुख्य बिंदु

- जैव विविधता में भूमिका:
 - ◆ विशेषज्ञों का मानना है कि उद्यान में ब्लैडरवॉर्ट की उपस्थिति जैव विविधता को बढ़ाती है और केवलादेव के पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक योगदान देती है।
 - ◆ यूट्रीकुलेरिया छोटे कीटों को पकड़कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - भारत में इसे आखिरी बार 36 वर्ष के अंतराल के बाद वर्ष 2021 में उत्तराखंड के चमोली की मंडल घाटी में खोजा गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- फीडिंग मैकेनिज़्म:
 - ◆ यह पौधा अपने मूत्राशय जैसे जाल में प्रोटोजोआ, कीट, लार्वा, मच्छर और टैडपोल जैसे जीवों को फँसा लेता है।
 - एक बार फँस जाने पर, जीव मूत्राशय के अंदर ही मर जाता है।
 - ◆ यूट्रीकुलेरिया की स्थलीय प्रजातियाँ पानी से भरी मिट्टी में पनपती हैं, जहाँ वे छोटे तैरने वाले जीवों को पकड़ती हैं।
- आदर्श विकास स्थितियाँ:
 - ◆ यूट्रीकुलेरिया की वृद्धि पंचना बाँध से प्रचुर मात्रा में जल की आपूर्ति के कारण होती है, जो पौधे की वृद्धि के लिये आदर्श परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

- परिचय:
 - ◆ यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभयारण्य और UNESCO विश्व धरोहर स्थल है।
 - चिल्का झील (उड़ीसा) और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) को 1981 में भारत के प्रथम रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई।
 - वर्तमान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकतक झील (मणिपुर) मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में हैं।
 - ◆ यह अपनी समृद्ध पक्षी विविधता और जलपक्षियों की प्रचुरता के लिये जाना जाता है और यहाँ 365 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियाई सारस जैसी कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी शामिल हैं।
- जीव-जंतु:
 - ◆ इस क्षेत्र में सियार, सांभर, नीलगाय, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा, जंगली सूअर, साही और नेवला जैसे जानवर पाए जा सकते हैं।
- वनस्पति:
 - ◆ प्रमुख वनस्पति प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हैं, जिनमें बबूल नीलोटिका का प्रभुत्व है तथा शुष्क घास के मैदान भी इसमें शामिल हैं।
- नदी:
 - ◆ गंभीर और बाणगंगा दो नदियाँ हैं जो इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

चर्चा में क्यों ?

शोधकर्ताओं ने राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) में 12 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) देखे। इससे भारत की सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक को संरक्षित करने के प्रयासों को बढ़ावा मिला है।

मुख्य बिंदु

- GIB जनसंख्या स्थिति:
 - ◆ GIB गंभीर रूप से संकटग्रस्त है तथा केवल 173 पक्षी ही बचे हैं।
 - ◆ इनमें से 128 प्रजातियाँ वनों में निवास करती हैं, जबकि अन्य पक्षियों को कैद में रखा जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



इष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ राजस्थान के अलावा यह प्रजाति गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी पाई जाती है।
- **संरक्षण प्रयास:**
 - ◆ शिकार, आवास की क्षति और विखंडन के कारण वर्ष 2011 में **IUCN रेड लिस्ट** में GIB को “गंभीर रूप से संकटग्रस्त” के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
 - ◆ इसके जवाब में, राजस्थान ने इस प्रजाति के संरक्षण के लिये वर्ष 2013 में 12.90 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य इसके आवास की सुरक्षा और प्रजनन की स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना था।
 - इस परियोजना के तहत दो स्थानों, सम और रामदेवरा में 45 बस्टर्ड का सफल प्रजनन किया गया।
- **आवास संरक्षण और प्रजनन:**
 - ◆ देखे गए पक्षी जंगल में पैदा हुए थे, जिनमें से अधिकांश मादाएँ तीन से चार वर्ष की थीं तथा कुछ नर एक वर्ष तक के थे।
 - ◆ उनके आवास की सुरक्षा के प्रयासों में घास के मैदानों में सुधार करना और पक्षियों को **रेगिस्तानी लोमड़ियों, बिल्लियों और नेवलों** जैसे शिकारियों से बचाने के लिये बाड़ लगाना शामिल है।
- **संरक्षण में मील का पत्थर:**
 - ◆ वर्ष 2018 में **भारतीय वन्यजीव संस्थान** ने राजस्थान सरकार और वन विभाग के साथ मिलकर **जैसलमेर में राष्ट्रीय संरक्षण प्रजनन केंद्र** की स्थापना की।
 - **अक्तूबर 2024** में, राजस्थान ने एक मील का पत्थर प्राप्त किया जब कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सफलतापूर्वक जन्म हुआ।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- परिचय:
 - ◆ राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (*अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स*) भारत का सबसे संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है।
 - ◆ इसे प्रमुख घासभूमि प्रजाति माना जाता है, जो घासभूमि पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है।
- संरक्षण स्थिति:
 - ◆ IUCN रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - ◆ वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट 1
 - ◆ प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (CMS): परिशिष्ट I
 - ◆ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान

- यह राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है।
- इस उद्यान (पार्क) में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पशु- चिंकारा और राज्य वृक्ष- खेजड़ी और राज्य पुष्प- रोहिड़ा प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं।
- इसे 1980 में UNESCO विश्व धरोहर स्थल तथा 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ

चर्चा में क्यों ?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान लगाया है कि 21 जनवरी, 2025 को राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा।

मुख्य बिंदु

- इस मौसम प्रणाली से राज्य के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की आशा है।
- ◆ परिणामस्वरूप, IMD ने इन क्षेत्रों के लिये चेतावनी जारी की है।
- पश्चिमी विक्षोभ:
 - ◆ IMD के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ वे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और उत्तर-पश्चिम भारत में गैर-मानसूनी वर्षा लाते हैं।
 - ◆ इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान माना जाता है, यह कम दबाव का क्षेत्र है जो उत्तर-पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरा लाता है।
 - ◆ WD का अर्थ इसके नाम में निहित है।
 - यह विक्षोभ “पश्चिमी” से पूर्वी दिशा की ओर बढ़ता है।
 - ◆ ये उच्च ऊँचाई वाली पश्चिमी जेट धाराओं पर पूर्व की ओर यात्रा करते हैं - तेज हवाओं के विशाल रिबन जो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी को पार करते हैं।
 - विक्षोभ का अर्थ है “विक्षुब्ध” या कम वायुदाब का क्षेत्र।
 - ◆ प्रकृति में संतुलन विद्यमान रहता है जिसके कारण किसी क्षेत्र की वायु अपना दबाव सामान्य करने का प्रयास करती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :



केंद्र ने सोयाबीन खरीद की समयसीमा बढ़ाई

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना से **सोयाबीन** की खरीद की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया है।

मुख्य बिंदु

- सोयाबीन खरीद की समय सीमा बढ़ाई गई:
 - ◆ सभी राज्यों में सोयाबीन की कुल खरीद 13.68 लाख टन तक पहुँच गई है, जबकि लक्ष्य 33.60 लाख टन का था।
 - ◆ मंत्रालय ने खरीद में कमी के लिये राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि खरीद व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
- कृषि मुद्दों पर समीक्षा बैठक:
 - ◆ कृषि मंत्री ने **कृषि से संबंधित** प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
 - ◆ विषयों में कृषि उपज प्रबंधन, **कृषि उत्पादों** का विपणन, आयात-निर्यात गतिशीलता और **मौसम की स्थिति** शामिल थे।
 - ◆ उन्होंने कृषि चुनौतियों के समाधान के लिये राज्य कृषि मंत्रियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया।

सोयाबीन की फसल

- सोयाबीन भारत में **खरीफ की फसल** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- सोयाबीन (ग्लाइसिन मैक्स) विश्व की सबसे महत्वपूर्ण बीज फली है, जो वैश्विक खाद्य तेल में 25% का योगदान देती है, पशुधन आहार के लिये विश्व प्रोटीन सांद्रण का लगभग दो तिहाई है तथा **मुर्गी** और **मछली** के लिये तैयार आहार में एक मूल्यवान घटक है।
- यह मुख्य रूप से वर्टिसोल और संबद्ध मृदा में वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है, जहाँ फसल के मौसम में औसत वर्षा 900 मिमी. होती है।
- भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।

UGC ने राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों में Ph.D. प्रवेश रोके

चर्चा में क्यों ?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों को नए Ph.D. छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया है। यह कार्रवाई फर्जी और पिछली तारीख की डिग्री जारी करने के आरोपों की जाँच के बाद की गई है।

मुख्य बिंदु

- प्रभावित विश्वविद्यालय: जिन संस्थानों पर नए Ph.D. छात्रों को दाखिला देने पर रोक लगाई गई है, वे हैं OPJS विश्वविद्यालय, चूरू, सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर और सिंधानिया विश्वविद्यालय, झुंझुनू।
- आरोप: UGC द्वारा नियुक्त एक स्थायी समिति ने पाया है कि तीनों विश्वविद्यालयों ने UGC Ph.D. विनियमों और Ph.D. डिग्री प्रदान करने के शैक्षणिक मानदंडों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।
- UGC की कार्रवाई: स्थायी समिति ने अनुशंसा की है कि UGC इन विश्वविद्यालयों को अगले पाँच वर्षों तक Ph.D. छात्रों के नामांकन से रोक सकता है।
- निहितार्थ: यह घटना राजस्थान में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर चिंता उत्पन्न करती है।
- इसमें शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिये कठोर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- UGC 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिये भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन बन गया।
- UGC शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, केंद्र सरकार UGC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है।
 - ◆ अध्यक्ष का चयन ऐसे लोगों में से किया जाता है जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होते।
- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा, आयोग उच्च शिक्षा के विकास के लिये आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह भी देता है।
- यह नई दिल्ली के साथ-साथ अपने छह क्षेत्रीय कार्यालयों से कार्य करता है जो बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित हैं।
- यह फर्जी विश्वविद्यालयों, स्वयत्त कॉलेजों, समविश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 2.4°C दर्ज किया गया

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे कम तापमान रहा।

नोट:

अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर स्थित है।

मुख्य बिंदु

- अन्य क्षेत्र: मैदानी इलाकों में, हनुमानगढ़ के संगरिया में न्यूनतम तापमान 5.8°C दर्ज किया गया, जबकि लूणकरणसर में 6.8°C, सिरोही और फतेहपुर में 7.3°C दर्ज किया गया।
- ◆ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पिलानी में 7.6 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 7.8 डिग्री सेल्सियस, सीकर और श्रीगंगानगर में 8.2 डिग्री सेल्सियस और नागौर में 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
- मौसम की स्थिति: राजस्थान के विभिन्न भागों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है तथा तापमान इस समय के सामान्य तापमान से काफी कम है।
- प्रभाव: असामान्य ठंड ने क्षेत्र में दैनिक जीवन, कृषि और पर्यटन पर इसके प्रभावों के संबंध में चर्चा को बढ़ावा दिया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- परिचय:
 - ◆ IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
 - यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
 - ◆ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
 - ◆ IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- नियम और ज़िम्मेदारियाँ:
 - ◆ मौसम संबंधी अवलोकन करना तथा कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन, अपतटीय तेल अन्वेषण आदि जैसी मौसम-संवेदनशील गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिये वर्तमान और पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना।
 - ◆ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, नॉरवेस्टर, धूल भरी आँधी, भारी वर्षा और बर्फ, ठंड और हीट वेक्स आदि जैसी गंभीर मौसम संबंधी घटनाओं के खिलाफ चेतावनी देना, जो जीवन और संपत्ति के विनाश का कारण बनते हैं।
 - ◆ कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योग, तेल अन्वेषण और अन्य राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिये आवश्यक मौसम संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराना।
 - ◆ मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान का संचालन और संवर्द्धन करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर OBC आरक्षण पर नोटिस जारी किया

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका के उत्तर में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। एक ट्रांसजेंडर महिला ने सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के लिये ट्रांसजेंडर लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत करने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी है।

मुख्य बिंदु

- याचिकाकर्ता: राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजुमन गंगा कुमारी ने याचिका दायर की।
- मुद्दे का परिचय: राजस्थान सरकार के जनवरी 2023 के परिपत्र में ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण के लिये OBC के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिसके बारे में याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे OBC और ट्रांसजेंडर दोनों से संबंधित लाभों से बहिष्कार हो सकता है।
- कानूनी आधार: याचिकाकर्ता का कहना है कि यह वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) के निर्णय का उल्लंघन करता है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण के लिये पात्र एक अलग समूह के रूप में माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे OBC श्रेणी में ही हों।
- नालसा निर्णय: वर्ष 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने सरकारों को ट्रांसजेंडर लोगों को "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा" मानते हुए आरक्षण देने का निर्देश दिया।
- ◆ हालाँकि, इस बात पर अस्पष्टता है कि क्या इसका तात्पर्य OBC जैसी मौजूदा सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों में समावेशन या ट्रांसजेंडर लोगों के लिये क्षैतिज आरक्षण से है।
- न्यायालय की व्याख्या: मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने NALSA निर्णय की व्याख्या ट्रांसजेंडरों को OBC श्रेणी में रखने के रूप में की है, जबकि कर्नाटक, मद्रास और कलकत्ता जैसे राज्यों ने क्षैतिज आरक्षण को बरकरार रखा है।

ट्रांसजेंडर

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है।
- इसमें 'इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति' और 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' जैसे शब्दों को स्पष्ट किया गया है, ताकि सर्जरी या थेरेपी की परवाह किये बिना ट्रांस पुरुषों और महिलाओं को इसमें शामिल किया जा सके।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

- भेदभाव न करना: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, तथा आवागमन, संपत्ति और कार्यालय के अधिकारों की पुष्टि करता है।
- पहचान प्रमाण पत्र: यह कानून स्वयं-अनुभूत लिंग पहचान का अधिकार प्रदान करता है तथा जिला मजिस्ट्रेटों को बिना मेडिकल परीक्षण के प्रमाण-पत्र जारी करने की आवश्यकता बताता है।
- चिकित्सा देखभाल: HIV निगरानी, चिकित्सा देखभाल तक पहुँच, लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी और बीमा कवरेज के साथ चिकित्सा सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद: सरकार को सलाह देने और शिकायतों का समाधान करने के लिये स्थापित।
- अपराध और दंड: बलपूर्वक श्रम, दुर्व्यवहार और अधिकारों से वंचित करने जैसे अपराधों के लिये कारावास (6 महीने से 2 वर्ष) और जुर्माने का प्रावधान है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

वन विभाग ने मौजूदा कानूनी जटिलताओं को दूर करने के लिये **नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य** की सीमाओं को संशोधित करना शुरू कर दिया है। यह पहल **राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन** की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित एक बैठक के दौरान शुरू हुई।

प्रमुख बिंदु

- **बैठक में चर्चा:**
 - ◆ बैठक में निम्नलिखित के बीच असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया:
 - ◆ अभयारण्य की मूल अधिसूचना 22 सितंबर 1980 को जारी की गई थी।
 - ◆ 8 मार्च, 2019 को **पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)** अधिसूचना जारी की गई।
 - ◆ जयपुर चिड़ियाघर के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) ने अभयारण्य की मूल सीमा का विवरण प्रस्तुत किया।
 - ◆ वर्ष 1980 की अधिसूचना में केवल 11 GPS निर्देशांकों का उपयोग करके अभयारण्य की सीमाओं को परिभाषित किया गया था।
 - ◆ वर्ष 2019 के ESZ मानचित्र में 100 संदर्भ बिंदु चिह्नित किये गए हैं, जिससे महत्वपूर्ण सीमा अंतर सामने आए हैं।
 - ◆ इन विसंगतियों के परिणामस्वरूप कई कानूनी मामले और न्यायालयी चुनौतियाँ सामने आईं।
- **अभयारण्य मानचित्र को संशोधित करने का निर्णय:**
 - ◆ प्राधिकारियों ने **राजस्व अभिलेखों** और 1980 की अधिसूचना के आधार पर अभयारण्य का संशोधित मानचित्र बनाने का निर्णय लिया।
 - ◆ जयपुर चिड़ियाघर के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) को नया मानचित्र तैयार करने का कार्य सौंपा गया।
 - ◆ **मसौदा मानचित्र की समीक्षा एक समिति द्वारा की जाएगी और तत्पश्चात अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।**
- **पर्यावरण कार्यकर्ताओं का विरोध:**
 - ◆ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अभयारण्य और ESZ मानचित्रों में विसंगतियों को उजागर किया है तथा वन विभाग पर गलत मानचित्र तैयार करने का आरोप लगाया है।
 - ◆ **लोकायुक्त** के पास शिकायत दर्ज कराई गई, जिसने इस मुद्दे पर ध्यान दिया।
- **वन प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया:**
 - ◆ **राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक** कार्यालय ने लोकायुक्त को जवाब देते हुए कहा:
 - सात वर्ष बाद मानचित्रों पर सवाल उठाना अनुचित था।
 - अभयारण्य और ESZ मानचित्र स्वीकृत और सटीक थे।

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

- **परिचय:**
 - ◆ यह राजस्थान के जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर **अरावली पहाड़ियों** में स्थित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ इसका नाम नाहरगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जो जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 18वीं शताब्दी का किला था।
- ◆ इसका क्षेत्रफल 720 हेक्टेयर है।
- ◆ इसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी शामिल है, जो शेर सफारी के लिये प्रसिद्ध है।
- वनस्पति: इसमें शुष्क पर्णपाती वन, झाड़ियाँ और घास के मैदान शामिल हैं।
- जीव-जंतु:
 - ◆ स्तनधारी:
 - सामान्य प्रजातियों में तेंदुए, जंगली सूअर, हिरण, शेर, बाघ, स्लॉथ बीयर और विभिन्न छोटे स्तनधारी शामिल हैं।
 - ◆ पक्षी:
 - पक्षी प्रेमियों के लिये यह एक स्वर्ग है, जहाँ मोर, उल्लू और ईगल जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
 - ◆ सरीसृप एवं उभयचर:
 - इंडियन रॉक अजगर और मॉनियर लिज़ार्ड जैसे सरीसृपों का निवास स्थान।
 - यहाँ मेंढक और टोड जैसे उभयचर प्राणी भी पाए जाते हैं।

राजस्थान सरकार कोचिंग छात्रों के लिये आत्महत्या रोकथाम विधेयक पेश करेगी

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने कोचिंग छात्रों में आत्महत्या की रोकथाम के उद्देश्य से एक विधेयक पेश करने की योजना की घोषणा की है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया।

- यह कदम विशेष रूप से कोटा में, जिसे भारत का कोचिंग हब कहा जाता है, छात्रों की आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि के मद्देनजर उठाया गया है।

मुख्य बिंदु

- कोटा में बढ़ती आत्महत्याएँ: वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक छह कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, जिससे लंबे समय से चली आ रही समस्या और बढ़ गई है। पिछले एक दशक में 127 आत्महत्या के मामले दर्ज किये गए हैं, जिनमें वर्ष 2023 में 26 और वर्ष 2024 में 17 मामले शामिल हैं।
- कोटा की प्रतिष्ठा पर प्रभाव: वर्तमान संकट ने कोचिंग हब के रूप में कोटा की स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिसके कारण छात्रों के नामांकन में गिरावट आई है।
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता: छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले वर्तमान उपायों की अपर्याप्तता को उजागर करते हैं तथा मानसिक स्वास्थ्य सहायता और तनाव प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर बल देते हैं।

स्वतः संज्ञान

- स्वतः संज्ञान (Suo Moto Cognizance) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है किसी सरकारी एजेंसी, न्यायालय या अन्य केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा स्वयं की आशंका के आधार पर की गई कार्रवाई।
- न्यायालय किसी कानूनी मामले का स्वतः संज्ञान तब लेता है जब उसे मीडिया या किसी तीसरे पक्ष की अधिसूचना के माध्यम से अधिकारों के उल्लंघन या कर्तव्य के उल्लंघन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में **जनहित याचिका (PIL)** दायर करने के प्रावधान निर्धारित किये गए हैं।
- ◆ इससे न्यायालय को किसी मामले के संज्ञान पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की शक्ति प्राप्त हो गई है।
- ◆ भारतीय न्यायालयों द्वारा स्वतः से की गई कार्रवाई **न्यायिक सक्रियता का प्रतिबिंब** है।

भारत में आत्महत्या रोकथाम से संबंधित अन्य पहल

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP):**
 - ◆ **ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP)** 738 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत जिला स्तर पर बाह्य रोगी सेवाएँ, परामर्श, सतत् देखभाल और 10-बेड्स वाली आंतरिक रोगी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** देश भर में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिये वर्ष 2022 में शुरू किया गया।
 - ◆ दिसंबर 2023 तक, 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 46 टेली MANAS सेल्स की स्थापना की गई है, जिसमें हेल्पलाइन पर 500,000 से अधिक कॉलों का प्रबंधन किया गया।
 - ◆ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन "KIRAN" शुरू की है।

लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण हेतु वेब पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान **उच्च न्यायालय** ने राज्य सरकार को लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिये एक वेब पोर्टल शुरू करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

- **आदेश का कारण:** कई लिव-इन जोड़ों को परिवार और समाज से धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वे **अनुच्छेद 226** के तहत याचिका दायर कर **अनुच्छेद 21** के तहत सुरक्षा की मांग करते हैं।
- ◆ अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि किसी नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो वे **सरकारी संस्था** के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं।
- ◆ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को **आदेश और रिट जारी करने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं**।
- न्यायालय ने कहा कि हालाँकि भारतीय कानून में **लिव-इन रिश्तों** को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने **खुशबू बनाम कनैअम्मल (2010)**, **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006)** और **इंदिरा शर्मा बनाम वी.के. शर्मा (2013)** जैसे कई मामलों में निर्णय दिया है कि ऐसे रिश्ते **आपराधिक नहीं हैं** और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।
- **विनियमित करने की आवश्यकता:** न्यायालय ने लिव-इन संबंधों को विनियमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा कहा कि इनमें **सामाजिक स्वीकृति का अभाव** है तथा ये कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न कर सकते हैं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- **प्राधिकरण की स्थापना:** जब तक कानून नहीं बन जाता, न्यायालय ने प्रत्येक जिले में एक सक्षम प्राधिकरण के गठन का आदेश दिया है, जो लिव-इन जोड़ों की शिकायतों को पंजीकृत करेगा और उनका समाधान करेगा।
- ◆ सरकार को 1 मार्च, 2025 तक एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उठाए गए कदमों की रूपरेखा होगी।
- **विवाहित व्यक्तियों पर कानूनी स्पष्टीकरण:** न्यायालय ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ को भेज दिया कि क्या बिना तलाक लिये लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले विवाहित व्यक्ति सुरक्षा की मांग कर सकते हैं।
- **लिव-इन जोड़ों के लिये नया कानूनी प्रारूप:**
 - ◆ न्यायालय के आदेश में एक औपचारिक पंजीकरण प्रारूप तैयार करना भी शामिल था जिसे लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने वाले सभी जोड़ों को पूरा करना होगा। दस्तावेज के अनुसार जोड़ों को ऐसे रिश्ते में प्रवेश करने से पहले विशिष्ट शर्तों पर सहमत होना होगा। प्रारूप में मुख्य प्रावधान निम्नलिखित होंगे:
 - **बाल सहायता:** दोनों भागीदारों को एक "बाल योजना" पर सहमत होने के लिये बाध्य किया जाएगा, जिसमें संबंध से पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामान्य पालन-पोषण के लिये उनकी संबंधित जिम्मेदारियों को रेखांकित किया जाएगा।
 - **भरण-पोषण:** पुरुष साथी को अनर्जक (गैर-कमाऊ) महिला साथी और संबंध से उत्पन्न बच्चों की आर्थिक सहायता करने तथा उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।

संवैधानिक नैतिकता को कायम रखने वाले ऐतिहासिक निर्णय

- **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006):**
 - ◆ अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक जोड़ों को उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
- **एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल एवं अन्य (2010):**
 - ◆ विवाह के बाहर वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को कानूनी और गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत घोषित किया गया।
- **नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार (2009):**
 - ◆ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अधिकारों का उल्लंघन घोषित करते हुए, वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।
- **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018):**
 - ◆ **व्यभिचार** को अपराध से मुक्त कर दिया गया तथा इसे समानता, सम्मान, गोपनीयता और स्वायत्तता के अधिकारों का उल्लंघन घोषित किया गया।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):**
 - ◆ **LGBTQ+** व्यक्तियों के अपने यौन रुझान और पहचान को सम्मान के साथ व्यक्त करने के अधिकारों की पुष्टि की गई।
- **शाफीन जहाँ बनाम अशोकन के.एम. (2018):**
 - ◆ किसी भी धर्म या जाति की परवाह किये बिना अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को मान्यता दी गई, जिससे हिंदू-मुस्लिम विवाह के निरसन को अमान्य कर दिया गया।
- **शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018):**
 - ◆ अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक जोड़ों के विरुद्ध हिंसा और सम्मान के नाम पर हत्या की निंदा की गई तथा रोकथाम और सुरक्षा के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गए।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

राजस्थान में नई सौर परियोजना

चर्चा में क्यों ?

जैक्सन ग्रीन (भारत) और ब्लूलीफ एनर्जी (सिंगापुर) ने राजस्थान में 1 गीगावाट के सौर परियोजनाओं के विकास के लिये साझेदारी की है, जिसमें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर (3,400 करोड़ रुपये) का निवेश किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- परियोजना का दायरा एवं समय-सीमा:
 - ◆ 1 गीगावाट पोर्टफोलियो में ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तपोषित तीन सौर परियोजनाएँ शामिल हैं।
 - ◆ परियोजनाओं में अंतरराज्यीय (InSTS) और अंतरराज्यीय (ISTS) ट्रांसमिशन प्रणाली परियोजनाएँ शामिल हैं।
 - ◆ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RUVNL), भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (SECI) और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड (NHPC) लिमिटेड से बोली के माध्यम से 25-वर्षीय विद्युत क्रय समझौते (PPA) प्राप्त किये गए।
 - ◆ तीनों सौर परियोजनाओं के 2025-2026 के दौरान क्रमशः शुरू होने की संभावना है।
- नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार लक्ष्य:
 - ◆ इस साझेदारी का लक्ष्य 2030 तक भारतीय ग्रिड में 5 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ना है।
 - ◆ राजस्थान की परियोजनाएँ प्रतिवर्ष 1,800 GWh (गीगावाट घंटे) हरित ऊर्जा उत्पन्न करेंगी, जो 1.5 मिलियन घरों को विद्युत देने के लिये पर्याप्त होगी।
- पर्यावरणीय प्रभाव:
 - ◆ इस परियोजना से 25 वर्षों में 22 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन को रोका जा सकेगा।
 - ◆ यह सड़कों से 5 मिलियन कारों को हटाने के बराबर है।
- रोजगार सृजन एवं आर्थिक लाभ:
 - ◆ इस पहल से निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान रोजगार सृजित होंगे।
- वित्तीय एवं बैंकिंग सहायता:
 - ◆ इस लेनदेन के लिये अनस्ट एंड यंग (EY) को निवेश बैंकर के रूप में नियुक्त किया गया था।
 - ◆ जैक्सन ग्रीन सुरक्षित ऋण सुविधाएँ:
 - फर्स्ट अबू धाबी बैंक (मुंबई) से 2.96 बिलियन रुपए।
 - HSBC (हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन) से 600 मिलियन रुपए।
 - ◆ यह निधि घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय EPC (इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण) परिचालनों को सहायता प्रदान करेगी।

विद्युत क्रय समझौता (PPA)

- ये विद्युत उत्पादकों और खरीददारों (आमतौर पर सार्वजनिक उपयोगिताओं) के बीच दीर्घकालिक समझौते (आमतौर पर 25 वर्ष) होते हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- इसमें उत्पादकों को निश्चित दरों पर बिजली आपूर्ति करने के लिये प्रतिबद्ध करना शामिल है, जिससे महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता सुनिश्चित हो सके।
- वे अनुकूल नहीं होते और गतिशील बाजार स्थितियों के अनुकूल ढलने में असमर्थ होते हैं।

इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल

- इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- सरकार ने निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग ज्ञान के लिये बोलियाँ आमंत्रित की हैं।
- कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम है और यह केवल इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के प्रावधान तक ही सीमित है।
- इस मॉडल की एक चुनौती यह है कि इससे सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :